# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–12/23 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाकः–08.06.2023
निर्णय दिनाकः– 11.06.2024

## अनवान

1– श्रीमति समरत उर्फ अमृत पत्नि स्व.गोकुल जी पाटीदार निवासी आरा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थीया)

## बनाम

1– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी –श्री निखिल सोमपुरा
अप्रार्थी 2– पैरोकार सरकार

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट**

## आदेश

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कृषि भुमि मौजा आरा मे खाता संख्या 144/139 कुल खसरा 33 कुल रकबा 5.8797 हेक्टर की संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व की स्थित है उक्त खाते के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया का नाम अमृत पत्नि गोकुल जी त्रूटी वश दर्ज हो गया है। प्रार्थीया के पहचान व पते के दस्तावेज राशन कार्ड,आधार कार्ड व लाईट बिल आदि मे प्रार्थीया का वास्तविक नाम श्रीमति समरत पत्नि गोकुल जी पाटीदार अकिंत है। राजस्व अधिकारीयो के द्वारा त्रूटी वश उक्त खाते मे प्रार्थीया का वास्तविक नाम श्रीमति समरत के स्थान पर अमृत अकिंत कर दिया है। वादग्रस्त खाते मे प्रार्थीया का सही नाम श्रीमति समरत अकिंत किए जाने पर सहखातेदारो कोई आपत्ति नही है जिसका सहमति पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी को उक्त मामले की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर के द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी 1 भुमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश कर प्रार्थीया का वास्तविक नाम श्रीमति समरत पत्नि गोकुल जी होना स्वीकार किया तथा उक्त नाम की शुद्वि बाबत् सहखातेदारो की सहमति होना भी बताया गया जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार मौजा आरा मे खाता संख्या 144/139 कुल खसरा 33 कुल रकबा 5.8797 हेक्टर मे प्रार्थीया का नाम **अमृत पत्नि गोकुल जी** अकिंत है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया के नाम की शुद्वि किए जाने हेतु सहखातेदारो का सहमति पत्र संलग्न है।

चुकिं पत्रावली पर आए अप्रार्थी के जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया के नाम की अशुद्वि का प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 के नामान्तकरण संख्या 3181 दिनांक 25.07.2023 हो जाने से प्रार्थीया द्वारा चाही गई राहत मिल जाने से पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 11/6/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्रवणसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा